बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–15.05.2026

संचिका संख्या–03/आ.1–44/2024.1/417687/ श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना संप्रति बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के विरूद्ध सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक–1911 दिनांक 05.04.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में अंकित आरोप निम्नवत् हैं–

i. बिना बोर्ड के अनुमोदन के ही अपने स्तर से ही निर्णय लेते हुए श्री अजय कुमार एवं श्रीमती श्वेता कुमारी की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करते हुए नियम विरूद्ध वेतन भुगतान का आदेश दिया जाना।
ii. श्री अजय कुमार एवं श्रीमती श्वेता कुमारी को रामवृक्ष संस्कृत प्राथमिक –सह–मध्य विद्यालय, मण्डाच्छ, नालन्दा में बिना विज्ञापन तथा बिहार राज्य गैर सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली 1976 के अध्याय–3 के नियम–1 एवं 05 तथा बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकों की सेवाशर्त 2015 प्रावधानित नियम 6(4), 6(5) एवं 8(4) का उल्लंघन करते हुए दोनों शिक्षकों के नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया जाना।
iii. जिला पदाधिकारी के पत्रांक 2469/विधि दिनांक 19.06.2023 को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जून–2023 से नवम्बर–2023 तक कुल 05 माह तक लम्बित रखना।
iv. कर्त्तव्य के प्रति शीलनिष्ठा नहीं बरतना।

2. प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में श्री राजेश कुमार से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। इनके बचाव अभिकथन को असंतोषप्रद मानते हुए विभागीय संकल्प–250 दिनांक 10.12.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें श्री पंकज कुमार, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक, शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण श्री शाहजहाँ, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को नया संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री शाहजहाँ, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रशासी पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच/संचालन की कार्रवाई संपादित करते हुए पत्रांक–26 दिनांक 12.01.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दोनों शिक्षकों के वेतन भुगतान का अनुमोदन दिया गया, परन्तु अनुमोदन देने के पूर्व इसकी समीक्षा नहीं की गयी कि प्रबंध समिति द्वारा की गई नियुक्ति नियमों के आलोक में है अथवा नहीं। शिक्षा विभागीय ज्ञापांक–168 दिनांक 23.02.2023 द्वारा निर्गत आदेश में अंकित है कि शिक्षक द्वय की नियुक्ति की जाँच जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा समिति गठित कर करायी जाय एवं जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में बोर्ड की अगली बैठक में निर्णय लिया

जाय। इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव द्वारा सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को प्रश्नगत विद्यालय में अविलंब नियमानुसार तदर्थ समिति का गठन करने एवं वर्ष 2016 में प्रबंध समिति के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् प्रश्नगत विद्यालय में गठन नहीं करने के संबंध में कारण पृच्छा किया गया है तथा उक्त विद्यालय का संचालन नजदीक के किसी सरकारी विद्यालय में कराने एवं उसका रख–रखाव संबंधित प्रबंध समिति के द्वारा किये जाने के संबंध में आदेश दिया गया। परन्तु, अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्गत आदेश का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा इस मामले में चूक हुई है, इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप सही परिलक्षित होता है। आरोप–02 मूल रूप से बिहार राज्य गैर सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली 1976 एवं बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 2015 के अनुसार प्रबंध समिति द्वारा नियमों का पालन नहीं करने से संबंधित है। विषयगत नियमावली बिहार राज्य गैर सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली 1976 एवं बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 2015 में अंकित विभिन्न प्रावधान के अनुसार प्रबंध समिति द्वारा नियमों का पालन नहीं करते हुए दोनों शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसका अनुमोदन आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। जनहित याचिका CWJC No- 7952/2022 में दिनांक 24.06.2022 में पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञापांक–168, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा पारित आदेश एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–2469/विधि, दिनांक 19.06.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन, जिससे संबंधित विस्तृत तथ्य आरोप संख्या–01 में अंकित है, से यह और भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध यह आरोप सही परिलक्षित होता है। आरोप–03 प्रमाणित नहीं होता है। आरोप–04 अंशतः सही प्रतीत होता है।

4. उक्त प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग विभागीय पत्रांक–349778 दिनांक 15.01.2026 द्वारा की गयी।

5. उक्त के आलोक में श्री राजेश कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक 30.01.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में श्री राजेश कुमार का कहना है कि माननीय न्यायालय में दायर CWJC No–21045/2018 अजय कुमार CWJC No–15558/2019 श्वेता कुमारी के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2018 एवं 02.08.2019 को पारित आदेश में प्रतिवादी संख्या–3 एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को याचिकाकर्त्ता द्वारा दिये गये अद्यतन नियुक्ति के अनुमोदन संबंधी अभ्यावेदन को क्रमशः आठ सप्ताह एवं तीन माह के अंदर निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया, किन्तु तत्कालीन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में याचिकाकर्त्ता द्वारा अवमानना वाद संख्या–591/2019 अजय कुमार तथा अवमानना वाद संख्या–5127/2019 श्वेता कुमारी दायर किया गया। उक्त अवमानना वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ विधि परामर्शी, माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संचिका पर अभिलेख/कागजातों को अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड,

पटना को अग्रसारित किया गया, जिसके प्रस्ताव सं. 14 (ख) पर श्री अजय कुमार एवं श्रीमती श्वेता कुमारी के नियुक्ति के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित हो जाने के कारण अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो सकी तथा दिनांक 31.12.2023 को इनका स्थानान्तरण अन्यत्र जिला में हो गया। अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–168 दिनांक 20.02.2023 में दिए गये निदेश के आलोक में तदर्थ समिति की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार जो आरोप प्रमाणित किए गए हैं वह उचित नहीं है। विद्यालय अनुमोदन हेतु बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को पत्र समर्पित किया गया था, किन्तु तत्कालीन पदाधिकारियों के स्तर से कार्रवाई नहीं की गयी और इनके विरूद्ध षड़यंत्र के तहत आरोप निर्धारित किया गया।

6. प्रस्तुत मामले की अनुशासनिक प्राधिकार समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि यह मामला बिना बोर्ड के अनुमोदन के ही अपने स्तर से ही निर्णय लेते हुए दो शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करते हुए नियम विरूद्ध वेतन भुगतान का आदेश निर्गत करने के फलतः प्रावधानों के विपरीत कार्य करने तथा वित्तीय अनियमितता कारित करने का है। आरोपों की वृहत जांच में यह प्रमाणित भी पाया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में जो बातें कही गयी हैं उनका विचारण जांच के दौरान किया जा चुका है तथा इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे इनके विरूद्ध प्रमाणित किए गए आरोपों पर कोई भिन्न अभिमत गठित हो सके। अतएव इनके लिखित अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया।

7. श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना संप्रति बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के प्रावधानों के तहत "संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धियों को रोकने" की शास्ति विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

8. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 403 दिनांक 11.05.2026 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है।

9. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना संप्रति बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"संचयी प्रभाव के साथ इनकी दो वेतन वृद्धियों को रोका जाता है"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः—03/आ01--44/2024...1/417687......../ पटना, दिनांकः-15.05.2026

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा.शि.)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना संप्रति बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)।
Date: 15-05-2026 14:32:25